वित्त विश्लेषक (एनएचएम-वित्त) के पद पर टीओआर

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्तीय प्रबंधन समूह)
रिपोर्टिंग	निदेशक (एनएचएम-वित्त), अवर सचिव (एनएचएम-वित्त) और वित्त नियंत्रक
पद का नाम	**वित्त विश्लेषक**
पदों की संख्या	एक
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त पदों के लिए पूर्णत: तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

1. **पृष्ठभूमि**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में समग्रतावादी जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का व्यापक कार्यक्रम है। पूर्णतया संविदात्मक आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में कार्मिक शक्ति सहायता से एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में मदद मिलनी अपेक्षित है।

2. **उद्देश्य**

केंद्रीय स्तर पर वित्त विश्लेषक एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सिपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम तथा एनडीसीपी सहित निधियों के प्रबंधन की निगरानी और निधियों के निर्मोचन, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, ई-बैंकिंग, उपयोग प्रमाण-पत्रों, क्षेत्र समीक्षा दौरे और उन पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करेगा।

3. **कार्यक्षेत्र**

मुख्य उत्तरदायित्वः

(i) डाटा समेकन का सिंहावलोकन, गतिविधि-वार प्रभाग-वार, राज्य-वार, त्रैमासिक तथा वर्ष-वार वित्तीय एमआईएस तैयार करना और वित्त सहायकों द्वारा आवंटन, निर्मुक्ति तथा व्यय की प्रतिशतता के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण तैयार करना।

(ii) आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल, प्रतिरक्षण और मिशन फ्लेक्सिबल पूल के लिए स्वीकृति आदेशों के अनुरूप स्वीकृति आदेशों की वित्तीय वर्ष वार गार्ड फाइलों को तैयार करने का सिंहावलोकन एवं वित्तीय सहायकों द्वारा पीएओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का पूर्णतया निपटान करना।

(iii) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का इलैक्ट्रानिक अंतरण, वेबसाइट अद्यतन बनाना तथा वित्त सहायकों द्वारा एनडीसीपी सहित एनएचएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत निधि अंतरण डाटा बेस के अनुरक्षण।

अन्य उत्तरदायित्व

(i) एफएमआर की रसीद की मानीटरिंग, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से निधि संबंधी स्थिति तथा मासिक समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का विवरण एवं निधि आवंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय के रूझान के संबंध में फीडबैक प्रदान करना।

(ii) सांविधिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया की मानिटरिंग, समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की रसीद, तत्संबंधी जांच तथा संबद्ध राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुपालन प्राप्त करना।

(iii) एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और एनडीसीपी के लिए घटक वार निधि उपयोग डेटा बेसा का संकलन।

(iv) एफएमआर फार्मेट के अनुसार अंतर-आरसीएच तथा एनएचएम में निधि उपयोग, लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र व्यय संबंधी रूझानों, उपयोग के पैटर्नों से संबंधित डाटा विश्लेषण।

(v) एनएचएम कार्यक्रमों के लिए एपीएमआर एवं लेखा परीक्षा विश्लेषण तैयार करना और टिप्पणियों के लिए मंत्रालय के संबद्ध कार्यक्रम प्रभाग एवं राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करना।

(vi) एनडीसीपी के साथ उनकी प्रगामी निधि निर्मुक्ति एवं व्यय के संबंध में वार्ता करना तथा उनसे निहित मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना।

(vii) एनएचएम वित्तीय प्रबंधन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा तत्संबंधी सुधारों का सुझाव देना।

(viii) सुधार हेतु टिप्पणियों एवं सिफारिशों के प्रयोजनार्थ राज्यों में वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा निष्पादन समीक्षा, विशेष वित्तीय अध्ययन तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त दलीय दौरा करना।

(ix) समय-समय पर राज्य / जिला / ब्लाक स्तरीय वित्त / लेखा के स्टाफ के लिए टैली सहित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना।

(x) संसदीय प्रश्नों / समितियों / आरटीआई / वीआईपी संदर्भों / सीएजी तथा डीजीएसीई आदि के संबंध में समय-समय पर सूचना एवं डाटा सहायता प्रदान करना।

4. आउटपुट

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

5. अर्हताएं एवं अनुभव

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त) अथवा पीजीडीबीएम / पीजीडीबीए (वित्त), जिसमें से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः वाणिज्य / विज्ञान / अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त हो।

सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। कंप्यूटरीकृत लेखाकरण पैकेज अधिमानतः टैली, एमएस आफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाइंट की जानकारी वांछनीय है।

6. यात्रा एवं भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर विस्तृत रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्रा को निदेशक (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। यात्रा के समय परामर्शदाता को विकास के भागीदार अथवा उसके टीएमएसए अथवा भारत सरकार के नियमानुसार खान-पान/आवास पर व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

7. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (एनएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. परामर्श सेवा की अवधि

प्रारंभ में यह संविदा 31 मार्च, 2020 तक के लिए होगी, बाद में कार्य निष्पादन तथा प्रभाग की आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। संतोषजनक ढंग से कार्य-निष्पादन करने पर संविदा को केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक से एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताएं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, विकास भागीदार तथा अन्य मनोनीत विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 60,000 से 1,20,000/- रु. प्रति माह समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यदि नियोजन भारत सरकार के बजट के जरिए हो, तो पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय उस प्रयोजन के लिए खुले विज्ञापन के समय विद्यमान दशाओं के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लोगों को छोड़कर सबसिडी, मुआवजा या पेंशन जैसे कोई अन्य लाभ प्राप्त करने की हकदारी नहीं होगी। परामर्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा। आवेदन के साथ परामर्शदाता का हाल का जीवन-वृत्त (सीवी) और पिछली परामर्श सेवा में प्राप्त भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

10. **आयु सीमा** :
आवेदक की अंतिम तिथि पर अधितिम आयु सीमा 45 वर्ष।

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे टीओआर के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र जो एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, को डाउनलोड करें तथा दिनांक 21-Oct-2019 तक आवेदन पूर्णतया भर कर nhm.recruitments@gmail.com पर ई-मेल करें। अन्य रूप से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में आवेदित पद का उल्लेख किया गया है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।